राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

RNI. No. UPHIN/2010/36806

केशरी दर्पण

w w w.kesharidarpan.com

राजधानी दिल्ली से प्रसारित

शख्सियत/प्रमुखता

www.kesharidarpan.com

सम्पादकः सुभाष चन्द

मो. 9837749557

सच्चाई सामने होगी

वर्षः16, अंकः 44 E-mail: subhashchand4@gmail.com बागपत, सोमवार, 23 से 29 नवंबर 2026 (पृष्ठः4) मूल्य 3 रुपया.

कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल व्यापक आधार नहीं बनाया जा सकता

सुशील/एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया ने कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारिता में दखल देने को व्यापक आधार नहीं बनाया जा सकता। संस्था ने आरोप लगाया कि अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उन पर हमले किए गए।

ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर किए गए थे। दिल्ली पुलिस के जवाबी हलफनामे पर दाखिल प्रत्युत्तर में कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना, जबरन हटाना, उन पर हमला करना या उनका यौन उत्पीड़न करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा, पेशे की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

पत्रकारों को जोखिम भरी परिस्थितियों में भी रिपोर्टिंग करने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें वहां से हटाने के बजाय सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि वे अपना काम जारी रख सकें। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में पुलिस ने पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच अंतर किया था।

इसके जरिए पत्रकारों को रोकने और हिरासत में लेने को सही ठहराने की कोशिश की गई है। स्पष्ट किया कि उसका सवाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की शक्तियों पर नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क), 19(1)(घ) और 21 की अनदेखी कर इन शक्तियों के इस्तेमाल पर है।

उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के उस निर्देश का भी हवाला दिया, जिसमें वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके काम में बाधा नहीं डालने को कहा गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि महिला पत्रकारों के साथ रिपोर्टिंग के दौरान होने वाला यौन उत्पीड़न उनकी गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर प्रहार करता है, और महिलाओं को बिना किसी डर के, समान शर्तों पर पत्रकारिता में हिस्सा लेने से बुरी तरह हतोत्साहित करता है।

बीजेपी आरएसएस को असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुष-प्रधान सोच वाले

विशाल कश्यप/एजेंसी नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। बीजेपी और आरएसएस को असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुष-प्रधान सोच वाले करार दिया और आरोप लगाया है कि उन्हें भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को कोई समझ नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट में लिखा, मैं भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को जितना गहराई से समझता हूं, उतनी ही चीजें स्पष्ट होती जाती हैं। बीजेपी और आरएसएस असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुष-प्रधान सोच वाले लोग हैं, जिन्हें हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की बिल्कुल भी समझ नहीं है।

राहुल गांधी ने एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप में दर्शाया गया है। अर्धनारीश्वर हिंदू धर्म का एक स्वरूप है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती एक ही शरीर में समाहित हैं। इसमें आधा हिस्सा पुरुष का और आधा हिस्सा स्त्री का है। यह टिप्पणी तब आई है, जब उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग-अ जर्नी ऑफ लव के विमोचन के दौरान अपने माता-पिता के रिश्ते को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी।

अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता खाना खाते समय एक साथ बैठते थे, और उनकी मां अक्सर उनके पिता की गोद में बैठती थीं।

भाजपा ने गरीबों को हमेशा धोखा दिया

गरीबों के आरक्षण में दबंगों को शामिल कर, गरीबों का हक़ पिछले 26 वर्षों से मार दिया।

आओ, बागपत लोकसभा को भाजपा मुक्त करें



निर्दलीय

बागपत लोकसभा की जनता-जनार्दन आशीर्वाद दे, तो

एक बार फिर 2029 में निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा

निवेदक

सुभाष चंद कश्यप

- पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा (2014, निर्दलीय)
- पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी, वार्ड नंबर 11, जनपद बागपत (2015)
- राष्ट्रीय महासचिव, श्रीराम बाजपेई स्काउट गाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया

79069 84078

कस्बा खेकड़ा, जनपद बागपत
उत्तर प्रदेश – 250101

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

बागपत कांग्रेस जिलाध्यक्ष लव कश्यप व बड़ौत शहर अध्यक्ष रामहरी पंवार के कार्यकाल के नवीनीकरण करने पर

बधाई व शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद


राष्ट्रीय नेतृत्व


वरिष्ठ नेतृत्व


उत्तर प्रदेश














जिला कांग्रेस कमेटी











रूबी कश्यप

पूर्व जिला उपाध्यक्ष, बागपत कांग्रेस

पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी, नगर पालिका परिषद, खेकड़ा (बागपत)

पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2019 व 2024

मो. 7906984078

विधानसभा चुनाव 2027 · जनता की राय

आपकी राय, आपका फ़ैसला!

रूबी कश्यप को इस बार किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए?

1. बागपत | 2. बड़ौत | 3. छपरौली | 4. सिवालखास | 5. मोदीनगर



रूबी कश्यप

पूर्व सांसद प्रत्याशी
बागपत लोकसभा

2019 व 2024

"जनता की आवाज़ जहाँ से कहे,
वहीं से सेवा का संकल्प।"

इन 5 में से विकल्प चुनें 👇

1. बागपत विधानसभा ☐
2. बड़ौत विधानसभा ☐
3. छपरौली विधानसभा ☐
4. सिवालखास विधानसभा ☐
5. मोदीनगर विधानसभा ☐

पसंद की सीट का नंबर (1 से 5) WhatsApp करें
79069 84078

या

स्कैन करके ऑनलाइन वोट करें
kesharidarpan.com/janta-ki-ray

✂ कूपन काटकर दें

नाम: _____ गाँव/शहर: _____

मोबाइल: _____ पसंद की सीट: ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

निर्वदक: रूबी कश्यप · प्रकाशन: केशरी दर्पण, बागपत

सम्पादकीय.....

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित पांच राज्यों में अगले साल की शुरूआत

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित पांच राज्यों में अगले साल की शुरूआत में होने वाले विधानसभा चुनाव फिलहाल तय समय पर ही होंगे लेकिन जो संकेत मिल रहे है, उनमें चुनाव ऐलान की तारीख इस बार थोड़ा आगे बढ़ेगी। जो 15 जनवरी के आसपास हो सकती है। इसके साथ ही इन राज्यों में मतदान की शुरूआत भी 22 फरवरी के बाद हो सकती है।

वैसे भी उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों में एक चरण में ही चुनाव होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में इसे तीन से चार चरणों की कराने की तैयारी है। 2022 में उत्तर प्रदेश सहित इन पांचों राज्यों के चुनाव का ऐलान आठ जनवरी को हुआ था।

चुनाव आयोग ने वैसे तो चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है लेकिन इसकी जो रफ्तार है, जिसमें अभी उत्तर प्रदेश व गोवा में अधिकारियों का दौरा पूरा नहीं हो पाया है। इसके 15 दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस दौरे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का दौरा शुरू होगा। इसमें एक महीने का समय लगने का अनुमान है। वैसे भी सभी राज्यों में आयोग का दौरा पूरा होने के बाद ही चुनाव का ऐलान होता है।

इसके साथ ही आयोग ने चुनाव कार्यक्रम पर भी काम शुरू कर दिया है। इसमें बोर्ड परीक्षाओं सहित प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले को भी ध्यान में रखा जा रहा है। जिसमें प्रयागराज व आसपास के जिलों से लाखों लोग महीने भर के कल्पवास के लिए आते है। जो वैसे तो 14 जनवरी से नौ मार्च तक रहेगा, लेकिन कल्पवासी माघी पूर्णिमा यानी 20 फरवरी तक ही रहते है।

आयोग से जुड़े सूत्रों की मानें तो जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है, उनमें से मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल इस पांचों राज्यों में सबसे पहले 13 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इससे पहले पांच राज्यों में चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना है। ऐसे में इन पांच राज्यों में यह चुनाव 24 फरवरी से आठ मार्च के बीच कराया जा सकता है।

गौरतलब है कि जिन पांच राज्यों में चुनाव होने है, उनमें मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 13 मार्च 2027 तक, गोवा में 14 मार्च 2027 तक,पंजाब में 16 मार्च 2027 तक, उत्तराखंड में 28 मार्च 2027 तक और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संतुलित और जिम्मेदार उपयोग पर जोर

एआई टूल्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही समझदारी भरा

एके सिंह/एजेंसी, हैदराबाद। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को कानूनी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संतुलित और जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीकी प्रगति से शैक्षणिक ईमानदारी, स्वतंत्र सोच और भविष्य के वकीलों की कानूनी सिद्धांतों को लागू करने की क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

सीजेआई ने कहा कि एआई टूल्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही समझदारी भरा, क्योंकि यह तकनीक अब पेशेवर और शैक्षणिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि, उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एआई-जनित सामग्री का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर पर बढ़ती निर्भरता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ई.वी. वेणुगोपाल और सीएलईए आयोजन समिति के अध्यक्ष तथा प्रो. (डॉ.) एस. शिवकुमार, सीएलईए के अध्यक्ष के स्वागत भाषण से हुआ।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एआई उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक होगा और न ही बुद्धिमानी भरा, क्योंकि यह तकनीक पहले ही पेशेवर और शैक्षणिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि इनके उपयोग के लिए स्पष्ट नियम स्थापित किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्र प्रौद्योगिकी का उपयोग एक सहायता के रूप में करने और इसे अपनी स्वयं की सोच का स्थान लेने देने के बीच के अंतर को समझें।

अपनी पेंशन से पुलिस अधीक्षक ऑफिस रोड बनवाएंगे सुभाष कश्यप

नितिन कुमार सिंह, 22/11, बागपत। सुभाष चंद कश्यप पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा ने बागपत पुलिस अधीक्षक ऑफिस के सामने का 100 मीटर रोड बनवाने को धरना प्रदर्शन किया। बताया कि नगर पालिका बागपत के द्वारा पुलिस अधीक्षक जनपद बागपत के ऑफिस के सामने के रोड को ना बनवाने का क्या कारण है कोई नहीं जनता? क्या पुलिस अधीक्षक जनपद बागपत जनता के काम नहीं करते? क्या पुलिस अधीक्षक बागपत नगर पालिका के काम नहीं करते है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका बागपत सहित सभी के काम सबसे ज्यादा पुलिस अधीक्षक बागपत करते हैं।



पुलिस अधीक्षक बागपत बहुत अच्छे हैं सबका काम करते हैं जो अच्छे होते हैं। उनका ही काम कोई नहीं करता और उन्हीं के ऑफिस के सामने का रोड नगर पालिका बागपत नहीं बनवाती है। ये बड़ी शर्म की बात है। लगभग 100 मी. का यह रास्ता है और इसके पास के सभी रास्ते पिछले दो दशक में कई कई बार बन चुके हैं। सुभाष चंद कश्यप ने बताया कि अगर नगर पालिका बागपत 31 दिसंबर 2026 तक इस 100 मी. रोड को पूरी तरीके से सारी बाधाएं पार करते हुए नहीं बनवा पाती तो 1 जनवरी 2027 को मै अपनी पेंशन के पैसे से इस रोड को बनवा दूंगा।

केशरी दर्पण समाचार पत्र के ऑनलाइन पत्रकार बने।
www.kesharidarpan.com
पर रजिस्टर/लॉगिन करे।
सम्पादक सुभाष चंद
9837749557

केशरी दर्पण

साप्ताहिक समाचार पत्र
दिल्ली · उत्तर प्रदेश · हरियाणा | RNI नं.: UPHIN/2010/36806

विज्ञापन दर कार्ड

Advertisement Rate Card (Weekly) · 1 जनवरी 2026 से लागू

4,000 प्रतियाँ प्रति अंक | **4 पृष्ठ** टैबलॉयड साइज़ | **साप्ताहिक** हर सोमवार को प्रकाशित | **3 राज्य** दिल्ली · उत्तर प्रदेश · हरियाणा

1. डिस्प्ले विज्ञापन दरें (प्रति अंक, GST अतिरिक्त)

साइज़	पृष्ठ 1 (मुख्य)	पृष्ठ 4 (अंतिम)	पृष्ठ 2/3 (अंदर)
पूरा पृष्ठ	₹ 25,000	₹ 20,000	₹ 14,000
आधा पृष्ठ	₹ 14,000	₹ 11,000	₹ 8,000
चौथाई पृष्ठ	₹ 7,500	₹ 6,000	₹ 4,500
1/8 पृष्ठ	₹ 4,000	₹ 3,200	₹ 2,500
कॉलम-सेमी दर	₹ 150	₹ 120	₹ 80

2. विशेष स्थान (केवल पृष्ठ 1)

टॉप बैनर स्ट्रिप	₹ 8,000
बॉटम स्ट्रिप	₹ 5,500
ईयर पैनल (मास्टहेड के दोनों ओर), प्रत्येक	₹ 2,000
जैकेट / पहले पृष्ठ पर पूरा कवर विज्ञापन	₹ 35,000

4. अनुबंध छूट (अग्रिम बुकिंग पर)

पैकेज	4 अंक	13 अंक	26 अंक	52 अंक
छूट	10%	15%	20%	25%

3. क्लासिफाइड एवं छोटे विज्ञापन

टेक्स्ट क्लासिफाइड (रिश्ते, किराया, नौकरी)	₹ 15 प्रति शब्द (न्यूनतम 20)
बॉक्स क्लासिफाइड (2×3 सेमी)	₹ 300
श्रद्धांजलि / शुभकामना / बधाई	₹ 500 – 1,500
सार्वजनिक सूचना / नाम परिवर्तन / दस्तावेज़ गुम	₹ 800 – 2,000
टेंडर / कानूनी नोटिस	₹ 90 प्रति कॉलम-सेमी
एडवर्टोरियल ("प्रायोजित" अंकित होगा)	₹ 5,000 – 8,000

5. अतिरिक्त शुल्क

त्योहार विशेषांक (दीपावली, होली, स्वतंत्रता दिवस, रिज़ल्ट विशेष)	25% – 50% अतिरिक्त
निश्चित स्थान (Guaranteed Position)	15% अतिरिक्त
रंगीन विज्ञापन	25% अतिरिक्त
एजेंसी कमीशन (मान्यता प्राप्त एजेंसी हेतु)	15% कमीशन

6. नियम एवं शर्तें Terms & Conditions

- **भुगतान :** 50% अग्रिम, शेष बिल के 15 दिन में। 4+ अंक के अनुबंध में पूरा भुगतान अग्रिम।
- **सामग्री की अंतिम तिथि :** प्रकाशन से 2 दिन पहले शाम 5 बजे तक।
- **प्रूफ :** प्रूफ स्वीकृत होने के बाद नाम, नंबर या पते की गलती की ज़िम्मेदारी विज्ञापनदाता की।
- **सत्यता :** सामग्री एवं दावों की पूरी ज़िम्मेदारी विज्ञापनदाता की। भ्रामक/आपत्तिजनक विज्ञापन स्वीकार नहीं।
- **अधिकार :** किसी भी विज्ञापन को अस्वीकार करने, बदलने या रोकने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित।
- **रद्द करना :** प्रकाशन से 48 घंटे पहले सूचना पर ही। छपे विज्ञापन की राशि वापस नहीं।
- **अखबार की त्रुटि :** हमारी गलती पर अगले अंक में निःशुल्क सुधार।
- **कानूनी नोटिस :** टेंडर, नाम परिवर्तन व गुमशुदगी हेतु पहचान पत्र/आदेश की प्रति आवश्यक।
- **सावधानी :** भुगतान केवल अधिकृत बैंक खाते/UPI पर करें और रसीद लें। अनजान व्यक्ति को भुगतान से पहले कार्यालय में पुष्टि करें।
- **न्याय क्षेत्र:** विवाद की स्थिति में मेरठ / बागपत।

विज्ञापन हेतु संपर्क करें: सुभाष चंद
WhatsApp: 98377 49557
कार्यालय: निर्भय एन्क्लेव, खेकड़ा | kesharidarpan.com
subhashchand4@gmail.com | kesharidarpan@gmail.com

वितरण क्षेत्र: दिल्ली, उत्तर प्रदेश (मेरठ, बागपत एवं आसपास) तथा हरियाणा | सभी दरें प्रति अंक, GST अतिरिक्त | प्रबंधन बिना पूर्व सूचना दरों में परिवर्तन कर सकता है। ₹ 1 लाख से ऊपर के अनुबंध हेतु लिखित अनुबंध आवश्यक।

नोटः पत्र में छपे लेख, लेखकों के निजी विचार है, सम्पादक का इनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। आप स्वयं जांच करें। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बागपत होगा।

RNI. No. UPHIN/2010/36806, मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुभाष चन्द ने इण्डियन प्रेस, राजेन्द्र नगर, मेरठ से छपवाकर कार्यालय ग्राम वाजिदपुर, पोस्ट तहसील बडौत, जिला बागपत से प्रकाशित किया। सम्पादकः सुभाष चन्द, मो. 9837749557, प्रबन्धक सम्पादकः राजवीर सिंह , (किसी भी विवाद के लिए बागपत न्यायालय मान्य)